25.1.18	वादिनी स्वयं उपस्थित। वादिनी की पहचान श्रीमती पुष्पलता अध्यापक द्वारा की गई। प्रतिवादी क्र.2 व 3 के वकील अनु.। शेष प्रतिवादी-एकतरफा। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ। जो आज शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादिनी ने निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक अंतिम डिक्री जारी की जावें। तो कोई आपत्ति नहीं है। हमने उभय पक्ष को सुना और पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव प्रारंभिक डिक्री के मुताबिक नियम होकर आगे है और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होती है। लिहाजा वादिनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाई जाकर सुनाई गई और शामिल मिसल की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिणधरी	दूनीदेवी [signature] (इदाराम)

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमरनाथ अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–26 / 2017

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
चुन्नीदेवी पत्नि भैराराम जाति जाट निवासी केरालापाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.मेहराराम पुत्र गोमाराम 2.टीकमाराम पुत्र भीयाराम 3.हीराराम पुत्र भीयाराम 4.कानाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केरालानाड़ा तहसील सिणधरी 5.प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी 6.प्रबन्धक बी.सी.सी.बी.शाखा सिणधरी 7.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–25.1.2018

संक्षिप्त मे वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा–कैरालापाना पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 446,448,470,471 कुल रकबा 117–15 बीधा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 27.9.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

लिहाजा वादीनी का वादपत्र अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरालापाना पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या

Scanned by CamScanner

446,448,470,471 कुल रकबा 117–15 बीधा भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	गांव का नाम	खसरा नं0	रकबा (बीधा में)	किस्म भूमि	बरंग
1	चुन्नीदेवी पत्नि भैराराम जाति जाट सा.कैरालापाना	कैरालापाना	446 448 471	5–02 9–11 44–00	बा.सो. बा.सो. बा.दो.	हरा
			03	58–13	–	हरा
2	टीकमाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट सा.कैरालापाना रहन–एस.बी.बी.जे. शाखा सिणधरी	कैरालापाना	446 448 470 471	1–05 2–08 0–07 10–13	बा.सो. बा.सो. गै.मु.ढाणी बा.दो.	नीला
3	हीराराम पुत्र भीयाराम जाति जाट सा.कैरालापाना रहन–एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी	कैरालापाना	446 448 470 471	1–05 2–08 0–07 10–13	बा.सो. बा.सो. गै.मु.ढाणी बा.दो.	लाल
4	मेहराराम पुत्र गोमाराम कानाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट सा.कैरालापाना रहन–मेहराराम का हि.बी. सी.सी.बी.सिणधरी	कैरालापाना	446 448 471	2–11 4–15 22–00	बा.सो. बा.सो. बा.दो.	पीला

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.1.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी
सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code,Appendix "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी

बइजलास श्री अमरनाथ अग्रवाल,आर.ए.एस.

वादीनी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
चुन्नीदेवी पत्नि भैराराम जाति जाट निवासी केरालापाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.मेहराराम पुत्र गोमाराम 2.टीकमाराम पुत्र भीयाराम 3.हीराराम पुत्र भीयाराम 4.कानाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केरालानाड़ा तहसील सिणधरी 5.प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी 6.प्रबन्धक बी.सी.सी.बी.शाखा सिणधरी 7.तहसीलदार सिणधरी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद स.–26/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनंफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी वादीनी स्वंय मिनजानिब व प्रतिवादी स.2 व 3 के अधिवक्ता अनु. एवं शेष प्रतिवादी एकरतफा मिनजानिब मुद्दायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी दी जाती हैं,कि वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 25.01.2018 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी मे पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है। कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिष्चित करावे।

बीज – मुबलिग – बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह ———फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ——— को अदा करे ।

बसबूत मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.1.18 को जारी की गई ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

सहायक कलक्टर सिणधरी

Scanned by CamScanner